प्र. सं. 85/2020 रा. वाद

धर्मेन्द्र v/s रूपशंकर

	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/11/21	करेड़ा [illegible] 20/12/21 को पेश हो। उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	
20/12/21	[illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य पर बाहर है। अवकाश पर है/पदच्युत है। वाद पत्रावली दिनांक 14/3/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी करेड़ा	
14/2/22	पत्रावली पक्ष [illegible] अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] किया सकने से पत्रावली [illegible] को पेश हो। 5/4/22 उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	
5/4/22	पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी अनुपस्थित। वादी व उनके अभिभाषक को लीगल कई मर्तबा आवाजे लगाई किन्तु कोई उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली के सल अमर होकर दफ्ती नम्बर से कम हो। उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:45:27 IST
Reason: SelfAttested